प्रेस नोट दिनांक-24.03.2021

(1). दिनाँक 21.03.2021 को जनपद चित्रकूट के थाना राजापुर के खोपा गांव में लाइसेंसी शराब के ठेके से शराब लेकर पीने के कारण 07 लोगों की मृत्यु हुयी थी। पुलिस द्वारा घटना से पूर्व भी और घटना के बाद भी लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है घटना के सम्बन्ध में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया 05 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनके कब्जे से अवैध शराब खाली बोतलें भरी बोतलें, फर्जी क्यूआर कोड बरामद हुयीं। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट व एनएसए की कार्यावही की जा रही है एवं उनकी सम्पत्ति चिन्हित कर संपत्ति को कुर्क की कार्यवाही की जायेगी।

अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक एवं आबकारी टीम के साथ कई स्थानों पर छापेमारी की गयी। इस अभियान में जिलाधिकारी चित्रकूट एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी प्रभारी निरीक्षकों द्वारा पुलिस टीमों द्वारा ग्रामों में भ्रमण कर पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है कि कोई भी अवैध शराब का सेवन न करें तथा किसी भी प्रकार के अवैध कार्य की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे 332 ग्रामों में भ्रमण कर लोगों से जनसंवाद कर लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

इस अभियान में दिनाँक 21.03.2021 से 23.03.2021 तक कुल 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 328 लीटर शराब, 87 लीटर केमिकल, 12 भट्टियां बरामद की गयी तथा मौके पर 37 क्विंटल 22 किलो लहन बरामद किया गया जिसे मौके पर नष्ट किया गया। जिसके सम्बन्ध में कुल 16 अभियोग आबकारी अधिनियंम के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये। इसी अभियान के क्रम में सीतापुर चौकी अन्तर्गत मलकाना व म0प्र0 क्षेत्र (बार्डर क्षेत्र में) के नदी के किनारे चौकी प्रभारी सीतापुर एवं टीआई नयागांव द्वारा संयुक्त रुप से अभियान में कार्यवाही की गयी जिसमें 05 क्विंटल लहन नष्ट किया गया।

इस अभियान के क्रम में जनपद के समस्त थानों में उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियों की अध्यक्षताम में शराब की 176 दुकानों के अनुज्ञापियों एवं सेल्समैनों के साथ गोष्ठियां की गयी इन गोष्ठियों में सभी को बताया गया कि अवैध शराब की बिक्री किसी भी दशा में न होने पाये, दुकान में पैकारी व्यवस्था नहीं होनी चाहियेस, स्टॉक रजिस्टर सही रखेंगे निर्धारित मात्रा से अधिक शराब किसी को नहीं देंगे, अपराधिक व्यक्ति सेल्समैन की ड्यूटी पर नहीं रहेगा। उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षकों द्वारा लाइसेसी शराब के दुकानों की चैकिंग की जा रही है।

पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में दिनांक 01 जनवरी 2021 से सभी प्रभारी निरीक्षकों के माध्यम से एक शाम एक गांव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के एक गांव में जनचौपाल के माध्यम से लोगों की पुरने विवादों की जानकारी करके इन्हे निस्तारित करवाया जाता है तथा पुराने अपराधियों का सत्यापन किया जाता है।

पिछले 10 साल में जो अभियुक्त अवैध शराब के कार्यो में संलिप्त रहे है ऐसे लगभग 95 अभियुक्तों की चैकिंग कर देखा गया कि वर्तमान में उनके द्वारा कोई अवैध कार्य तो नहीं किया जा रहा है।

जनता से अपील की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कार्यों में संलिप्त पाया जायेगा को उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में की कार्यवाही की जायेगी तथा उनकी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी होली त्यौहार एवं पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माँण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण तथा 20 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गयी।

(क). उ0नि0 श्री बल्देव सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्ता अनीता पत्नी फूलचन्द्र केवट निवासी हरिजनपुर चुरेहकेसरुआ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ तथा अभियुक्कत कामता प्रसाद पुत्र स्व0 बैजनाथ निवासी गुरौला थाना मानिकपुर चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बल्देव सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी दीपचन्द्र
3. आरक्षी दिनेश
4. महिला आरक्षी शैलजा

(ख). वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार यादव थाना मारकुंडी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शारदा कोल पुत्र राम लखन उम्र करीब 32 वर्ष निवासी अमचूर नेरुआ थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. वरि0उ0नि0 दिनेश कुमार यादव थाना मारकुण्डी
2. आरक्षी अमित सिंह
3.महिला आरक्षी दीपिका सिंह
4. महिला आरक्षी खुशबू

(3). दिनांक-23.03.2021 की रात्रि को जिलाधिकारी महोदय जनपद चित्रकूट व पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट द्वारा आगामी होली त्यौहार व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी के कपसेठी व टिकुरा में जाकर भ्रमण किया गया व अपराधियों को घरों की चेकिंग की गयी। महोदय द्वारा महिलाओं व पुरुषों को एकत्रित कर उनसे जनसंवाद किया किया व उन्हें प्रेरित किया गया कि कोई भी इस प्रकार के अवैध कार्य में संलिप्त न हो। यदि कोइ इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो तत्काल उसकी जानकारी दें जिससे किसी भी प्रकार का अवैध कार्य सम्बन्दित गावं में न होने पाये।

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 24.03.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिहा, जमिरा व कोलमजरा में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम अकबरपुर के गौतमबुद्ध नगर मे भ्रमण कर के शारदा आदर्श इंटर कॉलेज मे, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट के द्वारा आर्यावर्त बैंक कस्बा मारकुंडी में तथा स्व0 श्री दादू भाई इंटर कॉलेज में एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बिसंडा तिराहा , बस स्टेंड पर रास्ते में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम बांधी में, एण्टी रोमियों टीम थाना मऊ द्वारा बाजार रोड कस्बा मऊ, कोचिंग सेंटर, अस्पताल, बस स्टैण्ड कस्बा मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा आदर्श इंटर कालेज, राजकीय इंटर कालेज, इंद्रानगर आदि स्थानों में, एण्टी रोमियों टीम महिला थाना द्वारा ट्राफिक चौराहा, पटेल तिराहा, सीआईसी इण्टर कालेज में भ्रमण कर छात्राओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।